

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 1(8)चिस्वा/2/2003 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 05.10.2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से निदेशक पद के विरुद्ध योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है-

| क्र. सं. | नाम अधिकारी | जन्मतिथि | रिक्त दिनांक |
|----------|----------------------------|------------|--------------|
| 1 | डॉ राजेन्द्र प्रसाद डोरिया | 07.01.1961 | 01.09.2018 |
| 2 | डॉ श्रीराम मीणा | 07.08.1957 | 01.09.2018 |

उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्न अधिकारियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है-

| क्र. सं. | नाम अधिकारी | वर्तमान पदस्थापन | नवीन पदस्थापन | विशेष विवरण |
|----------|--------------------------------|--|---|----------------------|
| 1. | डॉ राजेन्द्र प्रसाद डोरिया | प्रमुख विशेषज्ञ (स्कीन एण्ड वीडि) कांवाटिया अस्पताल, जयपुर | निदेशक, एड्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर | डॉ चौहान के स्थान पर |
| 2. | डॉ श्रीराम मीणा | प्रमुख विशेषज्ञ(सर्जरी) जिला चिकित्सालय, करौली | निदेशक, आर.सी.एच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर | रिक्त पद पर |
| 3. | डॉ एस.एस. चौहान, अति. निदेशक | निदेशक, एड्स (पद विरुद्ध) | परियोजना निदेशक(जांच) आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर | रिक्त पद पर |
| 4. | डॉ राधेश्याम छीपी, अति. निदेशक | प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग, जयपुर | निदेशक, ई.एस.आई (पद विरुद्ध) | रिक्त पद पर |

राज्यपाल की आज्ञा से

41.3
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. एम.डी. आर.एम.एस.सी.एल, जयपुर।
7. एम.डी, एन.यू.एच.एम, जयपुर।
8. निदेशक (जन स्वास्थ्य/एड्स/आर.सी.एच/ई.एस.आई), चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राज.।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
11. संबंधित अधिकारीगण।
12. कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
13. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करावें।

3

(ओ0 पी0 वर्मा)

शासन सहायक सचिव